

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

आदेश

कार्मिक विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति क्रमांक प.7(20)शिक्षा-2/2013 दिनांक 06.01.2011 की पालना में दिनांक 31.07.2015 तक सेवा निवृत्त होने वाले निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) की उनके तदर्थ/अस्थाई रूप से व्याख्याता पद पर पदस्थापन अवधि से उनके नियमित डीपीसी / पीएससी चयन अथवा उनके सेवा निवृत्त होने तक की अवधि की कार्योत्तर अभिवृद्धि राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में एतद द्वारा जारी की जाती है।

क्र०सं०	नाम कनिष्ठ अध्यापक मय पदस्थापन स्थान	विषय	जन्म तिथि	तदर्थ पदोन्नति आदेश क्रमांक व दिनांक	डीपीसी / आरपीएससी वर्ष	सेवा निवृत्ति तिथि
1	श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता प्र०अ० रामावि भावपुरा, जयपुर	वाणिज्य	20.06.53	शिविरा/संस्था/सी-2 / 31821/85-86 दिनांक 16.12.85	प्र०अ० 2001-02	30.06.2013




(बी.एल.स्वर्णकार)
आईएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

दिनांक: 11.4.16

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-8/पेंशन आक्षेप/2012
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

- 1 उपशासन सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर
- 2 निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान-जयपुर
- 3 संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
- 5 संबंधित संस्था प्रधान
- 6 संबंधित कार्मिक
- 7 सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
- 8 रक्षित/निजी पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर